कारागार सुधार

प्रलिम्सि के लयि:

पुलसि महानदिशकों/महानरीक्षकों का 57वाँ अखलि भारतीय सम्मेलन, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, आपराधकि न्याय प्रणाली, राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-कारागार सांख्यकिी, भारत, हरिसत में बलात्कार, अमतिाव रॉय (सेवानवृित्त) समतिि

मेन्स के लयि:

भारत में कारागार प्रशासन की स्थतिि, भारत में कारागार से संबंधति मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुफयिा ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजति पुलसि महानदिशकों/महानरीक्षकों के 57वें अखलि भारतीय सम्मेलन में कारागार प्रबंधन में सुधार के लयि **कारागार सुधारों** का सुझाव दयिा तथा अप्रचलति आपराधकि कानूनों को नरिस्त करने की सफिारशि की।

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:

- उन्होंने एजेंसयिों के बीच डेटा वनिमिय को सुचारू बनाने के लयि **राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क** के महत्त्व पर ज़ोर दयिा।
  - साथ ही पुलसि बलों को और अधकि संवेदनशील बनाना तथा उन्हें उभरती प्रौद्योगकियिों में प्रशकि्षति करना।
- उन्होंने **बायोमेट्रकिस** आद‍ि जैसे तकनीकी समाधानों का लाभ उठाने तथा पैदल गश्त जैसे पारंपरकि पुलसिगि तंत्र को और मज़बूत करने की आवश्यकता के बारे में बात की।
- उन्होंने उभरती चुनौतयिों पर चर्चा करने तथा अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को वकिसति करने के लयि राज्य/ज़लिा स्तरों पर DGsP/IGsP सम्मेलन के मॉडल की नकल करने एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु **राज्य पुलसि और केंद्रीय एजेंसयिों** के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दयिा।

भारत में कारागार प्रशासन की स्थतिि:

- **परचिय:**
  - कारागार प्रशासन **आपराधकि न्याय प्रणाली** का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। पछिली सदी में कैदयिों के प्रतसिामाजकि दृष्टकिोण में एक आदर्श बदलाव आया है।
    - दंडात्मक रवैये के साथ कारागार की पूर्व प्रणाली में जहाँ कैदयिों को ज़बरन कैद कयिा जाता था और दंड के रूप में वभिन्नि प्रकार की स्वतंत्रता से वंचति कयिा जाता था, कारागार और कैदयिों के प्रतसिामाजकि धारणा में बदलाव आया है।
  - इसे अब एक सुधार या सुधार सुवधिा के रूप में माना जाता है जो स्वयं इंगति करती है कि कैदयिों को दंडति करने की तुलना में उनके सुधार पर अधकि ज़ोर दयिा जाता है।
- **भारत में आपराधकि न्याय प्रणाली की संरचना:**
  - **भारतीय आपराधकि न्याय प्रणाली** उन सरकारी एजेंसयिों से बनी है जो कानून लागू करती हैं, अपराधों पर न्याय करती हैं और आपराधकि व्यवहार में बदलाव लाकर उसे सही करती हैं।
  - इसके चार उपतंत्र हैं:
    - **वधायकिा (संसद)**
    - प्रवर्तन (पुलसि)
    - अधनिर्िणय (न्यायालय)
    - सुधार (जेल, सामुदायकि सुवधिाएँ)
- **भारत में कारावास से संबंधति मुद्दे:**
  - **लंबति मामलों की संख्या:** 2022 के रकिॉर्ड के अनुसार, **न्यायपालकिा के वभिन्नि स्तरों पर भारतीय अदालतों में 4.7 करोड़ से अधकि मामले लंबति हैं।**

        - इसके अलावा [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया] के अनुसार, भारत में जेल की कुल आबादी का 67.2% ट्रायल कैदी के रूप में शामिल हैं।
    - **औपनिवेशिक प्रकृति और अप्रचलित कानून:** भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं को ब्रिटिश **औपनिवेशिक काल में राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिज़ाइन** किया गया था।
        - इस आलोक में **19वीं सदी के इन कानूनों की प्रासंगिकता 21वीं सदी में बहस का विषय बनी हुई है।**
    - **सलाखों के पीछे अमानवीय व्यवहार:** वर्षों से आलोचकों ने बार-बार जेल कर्मचारियों के **उदासीन और** यहाँ तक कि **अमानवीय व्यवहार** के बारे में शिकायत की है।
        - इसके अलावा [हिरासत में बलात्कार और मौतों] के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
    - **भीड़भाड़:** भारत में कई जेलों में भीड़भाड़ है, कैदियों को रखने हेतु निर्मित कारावासों में **क्षमता से अधिक** कैदियों को **भरा जा रहा है।**
        - उदाहरण के लिये **वर्ष 2020 में यह बताया गया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल,** जिसकी क्षमता लगभग 7,000 कैदियों की है, में 15,000 से अधिक कैदी थे।
    - **अपर्याप्त स्टाफ**: भारत में कई जेलों में **कर्मचारियों की कमी** है, जिससे खराब स्थिति और **सुरक्षा की कमी** हो सकती है।
        - उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में यह बताया गया कि **तमिलनाडु के चेन्नई में पुझल केंद्रीय कारागार** में प्रत्येक 100 कैदियों के लिये केवल एक गार्ड है।
        - साथ ही [कारागार अधिनियम 1894] **एवं बंदी अधिनियम 1900** के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी एवं एक विधि अधिकारी होना चाहिये **लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती लंबित रहती है।**

आगे की राह

- **कारागारों को सुधारात्मक संस्थान बनाना: कारागारों को "सुधारात्मक संस्थानों" और पुनर्वास केंद्रों में बदलने का आदर्श नीतिगत नुस्खा तभी साकार हो सकता है** जब अत्यधिक कार्यभार, अवास्तविक रूप से कम बजटीय आवंटन एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में पुलिस की नासमझी जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए।
- **कारागार सुधारों की सिफारिश:** सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति [अमिताव रॉय (सेवानिवृत्त) समिति] की नियुक्ति की, जिसने कारागारों की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिये निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं:
    - कारागार में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिये **स्पीडी ट्रायल** सबसे अच्छे तरीकों में से एक है।
    - **प्रति 30 कैदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना चाहिये**, जो कि फिलहाल नहीं है।
    - पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिये विशेष [फास्ट-ट्रैक न्यायालयों] की स्थापना की जानी चाहिये।
    - दलील सौदेबाज़ी (प्ली बार्गेनिंग) की अवधारणा, जिसके तहत किसी दंडनीय अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर कानून के तहत निर्धारित सज़ा से कम सज़ा प्राप्त करने के लिये अभियोजन से सहायता लेता है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
    - **कारागार प्रबंधन में सुधार:** इसमें कारागार कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के साथ-साथ निगरानी तथा उत्तरदायित्व के लिये प्रभावी प्रणाली लागू करना शामिल है।
    - इसमें कैदियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना भी शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं।। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये एक समयसीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न 2. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मैकेनिज़्म) द्वारा पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकारों की प्रोन्नत करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका तथा अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

[स्रोत: द हिंदू]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prison-reforms-1